संचिका सं0–7 / सदर एवं अनु0अस्प0–23–01 / 2025–26...........129 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 04/07/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के विभिन्न सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में मशीने एवं उपस्कर आपूर्ति के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को मशीने एवं उपस्कर क्रय हेतु कुल राशि 16,00,00,000/- (सोलह करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के विभिन्न सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में मशीने एवं उपस्कर आपूर्त्ति हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को मशीने एवं उपस्कर क्रय हेतु कार्यालय पत्रांक–2630 दिनांक–13.06.2025 के द्वारा राशि की मांग की गयी है । इसमें सदर अस्पताल, गंगवारा, दरभंगा के नवनिर्मित भवन, जो वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या–46(10) दिनांक–30.01.2024 के द्वारा विशिष्ट कैंसर अस्पताल (सिर / मुँह एव गर्दन) के रूप में संचालित की जा रही है, को उपकरणों की आपूर्ति प्राथमिकता पर की जानी है । तद्क्रम मे कुल राशि रू0 16,00,00,000/- (सोलह करोड़ रुपये) की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019 के निदेशानुसार राज्य योजना तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर–योजना) के अन्तर्गत मशीने एवं उपस्कर मद में बजट उपबंध का (न्यूनतम) 80 प्रतिशत राशि सीधे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को एवं शेष 20 प्रतिशत राशि (अधिकतम) संबंधित स्वास्थ्य सस्थानो को आवंटित किया जाना निर्दिष्ट है ।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग स0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0013 अंतर्गत (52–01) मशीने एव उपस्कर मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी सुसगत प्रपत्रो में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–PBBPLA007 एव विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 तथा लेजर आई0डी0 सख्या–14359 मे सुलभ करायेंगे ।

(5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना वित विभागीय पत्राक–870/वि0 दिनांक–25.01.2024 के आलोक में इस राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे ।

(6) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (**Plus-Minus Memoranda**) माहवार तथा एतद्संबंधी सुसगत भाउचर्स/ उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेंगे ।

(7) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, संकल्प संख्या–545(12), दिनांक–11.06.2019 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(8) राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

(11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26 के पृष्ठ–17/टि0 में प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

5/7/25

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:– सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26–129(7)/स्वा0, पटना, दिनांक:–04/07/2025

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित सिविल सर्जन/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/7/25

सरकार के अपर सचिव